न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13 / 13 / 2025	30.01.2025	12.02.2025

1–ग्राम पंचायत मीरका जरिये सचिव ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति व तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

निगरानीकार

बनाम

1– उप स्वास्थय केन्द्र मीरका जरिये B.c.m.o चिकित्सा विभाग किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

अनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज एक्ट 1994 पटटा संख्या 08 बुक संख्या 34 दिनाक 21.07.2023

उपस्थितः–

01. श्री अजयराज यादव – वकील निगरानीकार
02 .... – निगरानीकार अनुपस्थित

––:: निर्णय ::––

वकील निगरानीकार द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अनिगरानीकार उप स्वास्थय केन्द्र मीरका जरिये B.c.m.o चिकित्सा विभाग किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0) को जारी पटटा संख्या 08 बुक न0 34 दिनाक 21.07.2023 क्षेत्रफल 433 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनिगरानीकार को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ को दोहराते हुऐ निवेदन किया है, कि मिन निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार उप स्वास्थय केन्द्र मीरका जरिये B.c.m.o चिकित्सा विभाग किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0) के पक्ष में एक पटटा संख्या 08 बुक न0 34 दिनाक 21.07.2023 को भवन निर्माण हेतु 433 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास जारी किया गया है। अनिगरानीकार उप स्वास्थय केन्द्र मीरका जरिये B.c.m.o चिकित्सा विभाग किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0) द्वारा पटटा जारी करने के पश्चात न तो कब्जा प्राप्त किया गया है, न ही उक्त जायदाद की भविष्य में उप स्वास्थय केन्द्र मीरका हेतु भवन निर्माण की कोई योजना है। निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार के पक्ष में पटटा जारी करने के पश्चात अनिगरानीकार से बार–बार कब्जा लेकर भवन निर्माण के लिये कहा गया किन्तु अनिगरानीकार ने साफ ईन्कार कर दिया कि न तो हमें पटटे की आवश्यकता है, और न ही इस जायदाद पर भवन/कार्यालय निर्माण कर सकते है। दिनाक 27.06.2024 को ग्राम पंचायत मीरका कार्यालय पर सरपच की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया राज्य सरकार के आदेश कंमाक एफ. 15 (32) पशवि./32489 जयपुर दिनाक 26.06.2024 के आदेश के तहत काफी बिन्दूओ पर चर्चा की गयी, ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सदस्यगण, कर्मचारिगण व जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद हुऐ। उक्त बैठक में उप स्वास्थय केन्द मीरका को भवन निर्माण हेतु जो पटटा 08 बुक न0 34 दिनाक 21.07.2023 जारी किया गया है, का विभाग द्वारा कब्जा नही लिये जाने तथा भवन निर्माण की आवश्यकता नही होने के कारण पटटा निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव लिया गया। अनिगरानीकार के द्वारा जारी पटटे के पंजीयन की भी मियाद भी गुजार दी। अतः निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार उप स्वास्थय केन्द्र मीरका जरिये B.c.m.o चिकित्सा विभाग

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0) को जारी पटटा संख्या 8 दिनाक 21.07.2023 बुक न0 34 क्षेत्रफल 433 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा को खारिज किया जावे। अनिगरानीकार बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुऐ।

विद्वान वकील निगरानीकार   की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार उप स्वास्थय केन्द्र मीरका जरिर्ये B.c.m.o चिकित्सा विभाग किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0) को पटटा संख्या 8 दिनाक 21.07.2023 बुक न0 34 क्षेत्रफल 433 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास जारी किया गया है, पटटा जारी करने के पश्चात अनिगरानीकार से बार–बार कब्जा लेकर भवन निर्माण के लिये कहा गया किन्तु अनिगरानीकार ने साफ ईन्कार कर दिया कि विभाग को पटटे की आवश्यकता नही है, और न ही जायदाद पर भवन/कार्यालय निर्माण कर सकते है। ऐसी स्थिति में निगरानीकार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है, निगरानीकार द्वारा अनिगरानीकार उप स्वास्थय केन्द्र मीरका जरिर्ये B.c.m.o चिकित्सा विभाग किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0) को जारी पटटा संख्या 8 बुक न0 34 दिनाक 21.07.2023 क्षेत्रफल 433 वर्गगज ग्राम मीरका ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति किशनगढबास खारिज किया गया है, निर्णय की प्रति तहत अदालत ग्राम पंचायत मीरका जरिर्ये सचिव ग्राम पंचायत मीरका पंचायत समिति तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0) को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज०)